संख्या-23/2019-1055/58-2019-300/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2019**

विषय:- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित राजकीय उद्यान, आलमबाग परिसर, लखनऊ में किसान प्रशिक्षण भवन का निर्माण, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आर्नामेंटल प्लान्टस हेतु स्वीकृति धनराशि रू0-498.35 लाख तथा राजकीय पौधशालाओं/प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की परियोजनान्तर्गत (जनपद-गोरखपुर, गोण्डा एवं कुशीनगर) हेतु अनुमोदित धनराशि रू0-631.64 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-1129.99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-डी0एच0-39-40/आर0के0वी0वाई0/रा0उ0 आलमबाग लख0/2019-20, दिनांक 23.05.2019 एवं कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-517/12-3-2019/100(46)/ 2008, दिनांक 20.05.2019 तथा पत्र सं0-डी0एच0-37-38/आर0के0वी0वाई0/पौ0प्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण-630.64/2019-20, दिनांक 23.05.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में कार्यों को कराये जाने हेतु कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 20.05.2019 द्वारा राजकीय उद्यान, आलमबाग परिसर, लखनऊ में किसान प्रशिक्षण भवन का निर्माण, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फार आर्नामेंटल प्लान्टस हेतु धनराशि रू0-498.35 लाख (अनुदान सं0-11 में धनराशि रू0-249.18 लाख एवं अनुदान सं0-83 में धनराशि रू0-249.17 लाख) तथा राजकीय पौधशालाओं/प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की परियोजनान्तर्गत (जनपद-गोरखपुर, गोण्डा एवं कुशीनगर) हेतु धनराशि रू0-631.64 लाख (अनुदान सं0-11 में धनराशि रू0-380.01 लाख एवं अनुदान सं0-83 में धनराशि रू0-251.63 लाख) अर्थात कुल धनराशि रू0-1129.99 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

परियोजना का नाम	**लेखाशीर्षक/मानक मद**	**अवमुक्त धनराशि**	**प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि**
राजकीय उद्यान, आलमबाग परिसर, लखनऊ में किसान प्रशिक्षण भवन का निर्माण सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फार आर्नामेंटल प्लान्टस	**अनुदान सं0-11** लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के.60/रा.40-के. + रा.)0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें-(के.60/रा.40-के. + रा.) 24-वृहत निर्माण कार्य	249.18	249.18
	अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789-	249.17	249.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक् योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के.60/रा.40-के. + रा.)-0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें- (के.60/रा.40-के. + रा.) 24-वृहत निर्माण कार्य			
		योग-	**498.35**	**498.35**
राजकीय पौधशालाओं/प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण परियोजना **(Strengthening of Government Horticulture farms/Nurseries)**	गोरखपुर	**अनुदान सं0-11** लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के.60/रा.40-के. + रा.)0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें- (के.60/रा.40-के. + रा.) 24-वृहत निर्माण कार्य	**217.67**	**217.67**
	गोण्डा		**162.34**	**162.34**
		योग	**380.01**	**380.01**
	कुशीनगर	**अनुदान सं0-83** लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक् योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के.60/रा.40-के. + रा.)-0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें- (के.60/रा.40-के. + रा.) 24-वृहत निर्माण कार्य	**251.63**	**251.63**
		योग	**251.63**	**251.63**
		कुल योग	**631.64**	**631.64**
		महायोग	**1129.99**	**1129.99**

(रूपये-ग्यारह करोड़ उनतीस लाख निन्यानवें हजार मात्र)

(1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में द्विरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम Net पर रहेंगे।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(7) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह के 5 तारीख तक उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-23/2019-1055(1)/58-2019, तददिनांक</u> :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) संबंधित मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
(6) संबंधित जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान, उ0प्र0।
(7) संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0,(पैकफेड)।
(9) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0)।
(10) कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(12) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।